

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपीगण बल्के उर्फ सुलेमान, शादाब, सत्यभान उर्फ सत्तू, शाहिद उर्फ मुन्ना, रहीस खॉन एवं याकूब न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध, द्वारा श्री गिर्राज भटेले अधिवक्ता।

प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है।

आरोपीगण के विरुद्ध फरियादी जितेन्द्र राजौरिया का एटीएम कार्ड बदलकर छल करने एवं उक्त एटीएम कार्ड से रूपये निकालकर चोरी करने का आरोप है, जो कि धारा 420 एवं 379 भा.दं.स. के अन्तर्गत दण्डनीय है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आवेदक जितेन्द्र राजौरिया पुत्र भगवान सिंह राजौरिया, निवासी :- ग्राम रसनौल, तहसील-गोहद ने उसके अधिवक्ता श्री टी.पी.तोमर के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी/आवेदक जितेन्द्र ने उनके अधिवक्ता श्री टी.पी.तोमर के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 379 एवं 420 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

फरियादी जितेन्द्र अभियोजित अपराध की धारा 379 एवं 420 भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री टी.पी.तोमर अधिवक्ता द्वारा की है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदकगण तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्ध अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजित की धारा 379 एवं 420 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदनुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 379 एवं 420 के अधीन दण्डनीय अपराध के

अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण का रिहाई आदेश जारी हो।

प्रकरण में जब्ती पत्रक दिनांक : 14/07/2017 के माध्यम से आरोपी शादाब से जब्तशुदा राशि 1400/- रुपये, जब्ती पत्रक दिनांक : 14/07/2017 के माध्यम से आरोपी सत्यभान से जब्तशुदा राशि 2500/- रुपये, जब्ती पत्रक दिनांक : 14/07/2017 के माध्यम से आरोपी सुलेमान से जब्तशुदा राशि 2200/- रुपये, जब्ती पत्रक दिनांक : 14/07/2017 के माध्यम से आरोपी याकूब से जब्तशुदा राशि 1500/- रुपये, जब्ती पत्रक दिनांक : 06/08/2017 के माध्यम से आरोपी शाहिद उर्फ मुन्ना से जब्तशुदा राशि 2200/- रुपये, जब्ती पत्रक दिनांक : 06/08/2017 के माध्यम से आरोपी रहीस से जब्तशुदा राशि 1900/- रुपये, इस प्रकार कुल 11,700/- रुपये आरोपीगण द्वारा दावा ना किये जाने के कारण अपील ना होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् फरियादी जितेन्द्र राजौरिया को प्रदान कर व्ययनित की जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

जे.एम.एफ.सी., गोहद